भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour Programme/VC/26/2017/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 06-12-2017

To,

1. The Chief Secretary,
   Government of Madhya Pradesh,
   Bhopal (Madhya Pradesh)

2. The Principal Secretary,
   Scheduled Tribes Affairs Department,
   Govt. of Madhya Pradesh,
   Bhopal, (Madhya Pradesh)

3. Collector,
   District- Chhindwara,
   (Madhya Pradesh)

4. The Superintendent of Police,
   District-Chhindwara,
   (Madhya Pradesh)

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to visit Districts-Chhindwara (Madhya Pradesh) from 18th October, 2017 to 24th October, 2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, alongwith Shri Raghav Chandra, Secretary, NCST to District Chhindwara (Madhya Pradesh) from 18th October, 2017 to 24th October, 2017 for compliance.

It is requested to take action on the recommendations of the Commission and submit action taken report within a months time.

Yours faithfully,

(R.K. Dubey)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. The Research Officer, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Bhopal, Room No.309, Nirman Sadan, CGO Building, 52-A, Arera Hills, Bhopal-462011(Madhya Pradesh)

2. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

उपाध्यक्ष का कार्यालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

संख्याःनि.सहा./उपाध्यक्ष/रा.अ.जजा.आ./2017 30.11.2017

माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 18/10/2017 से 24/10/2017 तक किये गये मध्य प्रदेश राज्य के राजकीय प्रवास की रिपोर्ट उपाध्यक्ष महोदया के हस्ताक्षर सहित मूलरूप में संलग्न है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया के आदेशानुसार अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रवास रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों/राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें ।

सुखदेव 30/XI

(सुखदेव)
निजी सहायक

उप सचिव

30/11

AD(Adm)
30/11
RU III

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

का दिनाँक 18 अक्टूबर 2017 से 24 अक्टूबर 2017 तक जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.

प्रवास का प्रतिवेदन

-:: TOUR REPORT ::-

-:: DATED 18/10/2017 TO 24/10/2017 { DISTRICT CHHINDWARA (MP) } ::-

1. दौरा करने वाले पदाधिकारी का नाम	**1) सुश्री अनुसुईया उइके उपाध्यक्ष** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार **2) श्री राघव चन्द्रा, सचिव** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार **3) श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार **4) श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** **सहायक निज सचिव** उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार
2. दौरा की तिथी दिन दिनाँक वर्ष	**दिनाँक 18 अक्टूबर 2017 से 24 अक्टूबर 2017 तक**
3. दौरा किया गया स्थान	**जिला छिन्दवाड़ा म.प्र. के तामिया, छिन्दी, बटकाखापा, चिलक एवं अन्य ग्राम**
4. मुख्य व्याक्ति / अधिकारीगण संगठनों से मिले	**निम्नानुसार**

1)	श्री नानाभाउ मोहोड विधायक सौंसर
2)	श्री चौधरी चन्द्रभान सिंह विधायक छिन्दवाडा
3)	श्री दौलतसिंह जी ठाकुर, वरिष्ठ अधिवक्ता छिन्दवाडा
4)	श्री रामराव महाले पूर्व विधायक सौंसर
5)	श्री मोरेश्वर मर्सकोले, जनजाति प्रतिनिधि
6)	श्री कमलेश उइके, जनपद सदस्य
7)	श्री विजय कुशरे जी, जनजाति प्रतिनिधि
8)	श्री उत्तमसिंह ठाकुर, जन प्रतिनिधि
9)	श्री सुजानसिंह उइके जन प्रतिनिधि
10)	श्री शम्भूवप्रसाद साहू, हर्रई जन प्रतिनिधि
11)	श्री सुन्दर साहू तामिया,
12)	श्री वीरेन्द्र सिंह ठाकुर, जन प्रतिनिधि
13)	श्री जे के जैन कलेक्टर छिन्दवाडा
14)	श्री गौरव तिवारी, पुलिस अधीक्षक छिन्दवाडा
15)	श्रीमती शिल्पा जैन सहायक जनजाति कल्याण विभाग
16)	सभी जिला प्रमुख अधिकारी जिला छिन्दवाडा
17)	श्री रहेश परते, अध्यक्ष आदिवासी सेवा मंडल सिवनी
18)	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सौंसर,

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

19)	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अमरवाडा
20)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत हर्रई
21)	अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग सौंसर
22)	करीब 1000 जनजाति समाज के व्यक्ति एवं जन प्रतिनिधि
23)	विभिन्न ग्रामों के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, एवं अन्य व्यक्तिगत

5. दौरा के मुख्य बिन्दु

- ❖ सौंसर में जन प्रतिनिधियों से मुलाकात,
- ❖ छिन्दवाडा में जिला प्रशासन के साथ बैठक,
- ❖ कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाडा का निरीक्षण,
- ❖ तामिया में जन प्रतिनिधियों से भेंट,
- ❖ बामडी एवं छिन्दी में आमजनों से भेंट,
- ❖ बामडी स्कूल के बच्चों के अध्ययन के स्तर को जाँचने का प्रयास किया।
- ❖ बटकाखापा में आमजनों एवं जन प्रतिनिधियों से मुलाकात समस्या सुनी।
- ❖ चिलक में जन समस्या शिविर में शिकायतों को सुना गया एवं यथासंभव निराकरण का प्रयास किया गया।
- ❖ छिन्दी छात्रावास को निरीक्षण किया गया।
- ❖ बच्चों के आवास, खान पान की व्यवस्था की जाँच की गई।

1. दिनाँक 18 अक्टूबर 2017 नागपुर से छिन्दवाडा के लिये प्रस्थान मार्ग में सौंसर वन विश्राम गृह में विधायक सौंसर, पूर्व विधायक, जनजाति प्रतिनिधियों एवं जनजाति वर्ग के जनपद सदस्यों, सरपंच एवं पंचों से मुलाकात कर जनजातियों की समस्या एवं विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई।
2. विभिन्न जनजाति संगठनों एवं व्यक्तियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना गयां।
3. रात्रि में भास्कर समाचार पत्र द्वारा आयोजित सामाजिक एवं साँस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित होकर आमजनों से भेंट की गई।
4. 20-21-22 अक्टूबर 2017 को निवास पर आमजनों एवं जनजाति प्रतिनिधियों से भेंट कर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को सुनकर उनका यथायोग्य आयोग में प्रस्तुत कर नोटिस, पत्राचार करने के निर्देश दिये गये।

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

5. **मेरे द्वारा दिनाँक 23 अक्टूबर 2017 को सचिव श्री राघव चन्द्रा, आईएएस** एवं **श्री जेम्स कुट्टी उप सचिव** के साथ के साथ कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिले के जिला प्रमुखों के साथ जिला की आयोग के निर्धारित 54 बिन्दु प्रपत्र में प्राप्त जानकारी एवं समय-समय पर जन प्रतिनिधियों से प्राप्त समस्याओं एवं सुझावों के आधार पर समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में प्राप्त मुख्य तथ्य

6. जिले में **अनुसूचित जनजाति** की जनसंख्या **20,90,922** में से **7,69,778** अर्थात **36.82** प्रतिशत है।
7. साक्षरता का प्रतिशत सामान्य वर्ग की तुलना में पुरूष में 56.44 एवं महिलाओं में 41.22 प्रतिशत है जो कि अत्यन्त कम है। इस स्तर को ठीक करने के निर्देश दिये गये।
8. जनजाति वर्ग के ऐसे बच्चों की संख्या जो कि शाला नहीं जाते हैं 1235 है जो कि अधिक है इसे सुधारने की आवश्यकता है। आयोग ने सुझाव दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करें कि वे प्रवास में ऐसे बच्चों के माता पिता अभिभावकों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें।
9.

(कलेक्टर श्री जे.के.जैन एवं जिला प्रशासन के जिला प्रमुख अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, श्री राघव चन्द्रा, सचिव, एवं श्री जेम्स कुट्टी उप सचिव)

10. उपस्थित अधिकारियों से ज्ञात करने पर उन्होंने बच्चों के ड्रापआउट का कारण सामान्य प्रमोशन की नीति बताया। सभी का सुझाव था कि सामान्य प्रमोशन की नीति को समाप्त कर परीक्षा होनी चाहिए। इससे बच्चों के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि होती है तथा वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये सक्षम होता है।
11. प्राथमिक स्कूल स्तर पर नामांकन एवं स्कूल छोड़ने का प्रतिशत अधिक हैं इसे कम करने की आवश्यकता है। आयोग द्वारा अधिकारियों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।
12. अधिकारियों ने अवगत कराया कि शालाओं में शिक्षकों की कमी है। साथ ही अतिथि शिक्षक का कार्य सुरक्षित नहीं होने की वजह से भी शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ पाता है।
13. जिले में कुल 89 छात्रावास हैं जिसमें से बालकों के लिये 66 तथा बालिकाओं के लिये 23 हैं, जो कि कम हैं। शासन स्तर से और अधिक छात्रावास निर्मित किये जाने की आवश्यकता है। विभाग एवं शासन समुचित कार्यवाही करें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

14. जिले में भारिया जनजाति के अति-पिछड़ी जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं। शासन की योजनाओं में उन्हें सीधे लाभ एवं शासकीय सेवाओं में नियुक्ति का प्रावधान है किन्तु काफी समय से नियुक्ति नहीं हुई है। कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा चयनित हितग्राहियों की नियुक्ति हेतु सूची वन विभाग को प्रेषित की गई है किन्तु नियुक्ति लंवित है। वन विभाग द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है। साथ ही व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से परीक्षा एवं नियुक्ति की बात भी उठाई गई। जबकि ऐसी नियुक्ति में उक्त प्रकिया की छूट है। कलेक्टर को निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण को शासन स्तर पर चर्चा कर तत्काल निराकृत कराया जावे और यदि आयोग से किसी प्रकार की सलाह या पत्राचार की आवश्यकता हो तो तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत कर करा लिया जावे। साथ ही ज्ञात हुआ कि ऐसी अतिपिछड़ी जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति में केवल तामिया के भारियों को दी जा रही है, जबकि पूरे छिन्दवाडा के भारियाओं को तामिया के भारियाओं के समतुल्य प्रथमिकता होनी चाहिए।

15. महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने अवगत कराया कि ऐसी स्वरोजगार योजनाओं जिनमें शासन द्वारा गारंटी ली गई है उनमें भी बैंकर्स द्वारा गारंटी मांगी जा रही है और जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को लोन नहीं दिया जा रहा है। इस बात की पुष्टि कलेक्टर द्वारा भी की गई। बैंक के सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं थे। बाद में सूचित करने पर स्टेट बैंक एवं सेन्ट्रल बैंक के अधिकारी उपस्थित हुए उनके द्वारा गारंटी मांगें जाने से इंकार किया किन्तु तथ्यों के परीक्षण से यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि बैंक द्वारा गारंटी मांगी जा रही है। महाप्रबंधक को ऐसे हितग्राहियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

बैठक के दौरान ही अनुसूचित जनजाति वर्ग की **आवेदिका श्रीमती वंदना नामदेव इवनाती** निवासी खुटाम्बा तहसील सौंसर जिला छिन्दवाडा का प्रकरण प्राप्त हुआ जिसके अनुसार प्रकरण को जिला उद्योग केन्द्र छिन्दवाडा द्वारा शासकीय योजना में अनुमोदन उपरांत इलाहाबाद बैंक रामाकोना सौंसर 29 जुलाई 2015 को भेजा गया है किन्तु बैंक द्वारा प्रकरण को लंवित रखा गया है, प्रकरण लंबे समय से बैंक में लंवित है। इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधितों को दिये गये।

आयोग के ध्यान में यह तथ्य आया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का संचालन करता है जिसमें गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है किन्तु बैंकर्स द्वारा

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

हितग्राहियों से गारंटी की मांग की जा रही है जिसकी वजह से लोन प्रकरण नहीं हो पा रहे हैं। आयोग द्वारा समीक्षा की गई और निर्देशित किया गया कि लोन दिये जावें और यदि कोई नियमों में संशोधन इत्यादि की आवश्यकता या निर्देशों की आवश्यकता हो तो आयोग से अनुशंसा करवा ली जावे।

साथ ही आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि बैंकर्स को या शासकीय विभाग को आयोग से किसी प्रकार के मार्गदर्शन या वरिष्ठ स्तर से अनुशरण या पत्राचार की आवश्यकता हो तो करा लिये जावे और जो बैंकर्स नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावे।

16. समीक्षा हेतु प्रस्तुत जानकारी में स्पष्ट हुआ कि जनजाति के व्यक्तियों के आवासों में से 952 आवासों में शौचालय की सुविधा नहीं है। निर्देशित किया गया कि यदि एक भी व्यक्ति शौचालय के लिये बाहर जाता है तो योजना का उद्देश्य समाप्त हो जाता है इसलिये तत्काल इसकी पूर्ति कर ली जावे।
17. आवासों ग्रामों में 98 बसाहटों में फ्लोराईड की समस्या है इसे दूर किया जावे।
18. अति गरीबी की रेखा से अपात्रों के नाम काटे जावें एवं पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने की कार्यवाही तत्परता से की जावे।
19. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 67 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 313 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा 46 प्रसव केन्द्र हैं किन्तु इन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत चिकित्सकों की कमी हैं।
20. आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों की कमी है। आयोग द्वारा सलाह दी गई कि चिकित्सकों की कमी को दूर करने तथा उपलब्ध चिकित्सकों में से जनजाति क्षेत्रों में नियुक्ति हेतु रोटेशन पद्धति के आधार पर आगे के लिये उपयुक्त व्यवस्था तत्काल बनाई जावे।
21. स्थानीय स्तर पर डाक्टरों की नियुक्ति के लिये भी निर्देश जारी किये जाए। यदि आयोग से किसी प्रकार के पत्राचार की आवश्यकता हो तो आयोग के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।
22. प्रस्तुत जानकारी एवं आँकडों से स्पष्ट होता है कि जनजाति कृषकों द्वारा परंपरागत रूप से ही परंपरागत फसलें पैदा करते हैं जबकि उनकी आय बढाने के लिये मछली पालन, बदक पालन (Duck), औषधीय पौधों की खेती तथा अन्य इसी प्रकार के कार्यो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
23. आयोग ने समीक्षा एवं भ्रमण में यह भी पाया कि जनजातियों के परिवारों द्वारा जो खेती कार्य किया जाता है वह पुरानी परंपरागत तरीकों से ही की जा रही है जबकि आधुनिक एवं आर्गनिक कृषि से उनकी आय को बढाया जा सकता है। आयोग ने सुझाव दिया कि कृषि विभाग इस दिशा में कार्य करें और

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जनजातियों को इसके लिये जागरूक कर पर्याप्त सुविधा एवं जानकारी उपलब्ध करावें।

24. छिन्दवाडा जिले में सीताफल की पैदावार को देखते हुए सलाह दी गई की सीताफल की खेती को बढावा दिया जावे। ताकि जनजाति के कृषकों की आय बढाई जा सके।

25. प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि कलेक्टर कार्यालय में सत्यापन के लिये 2305 दावे प्रस्तुत हुए हैं जिनमें से 1489 वितरित हुए तथा 816 निरस्त किये गये हैं। निरस्त प्रकरणों की पुनः समीक्षा करने के निर्देश किये गये।

26. आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में एक पंचायत के सभी ग्रामों में आशा कार्यकर्ता नहीं हैं वह केवल पंचायत मुख्यालय पर रहती हैं। इसके साथ ही साथ उन्हें अत्याधिक कम वेतन प्राप्त होता है। आयोग द्वारा सलाह दी गई कि प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक ग्राम में आशा कार्यकर्ता नियुक्त की जानी चाहिए एवं वेतन बढाए जाने की आवश्यकता है।

    अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्देशित किया गया कि आशा कार्यकर्ता के कार्य एवं वर्तमान में जीवन यापन की आवश्यकता को देखते हुए मानदेय बढाने के प्रस्ताव शासन को भेजे जावे। इस संबंध में आयोग की अनुशंसा अथवा पत्राचार की आवश्यकता हो तो आयोग में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।

27. अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि ऐसे सभी प्रकरणों में जिनमें अत्याचार हुआ है उनमें इस अधिनियम की धाराएँ आवश्यक रूप से लगाई जावें ताकि अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप पीड़ित को इसका लाभ मिल सके।

28. वनाधिकार अधिनियम अर्थात अनुसूचित जनजातियों को वन भूमि के पट्टे प्रदान करने के लिये कुल 14021 दावें प्राप्त हुए थे जिसमें से 8235 दावों में पट्टों में 10216.914 हैक्टेयर भूमि का वितरण हुआ है। निरस्त प्रकरणों की संख्या अधिक है इसके संबंध में निर्देशित किया गया कि इनका फिर से परीक्षण कर पात्रों को पट्टे दिये जावे।

आवासीय कन्या शिक्षा परिसर, छिन्दवाडा का निरीक्षण किया गया

- बच्चों एवं शिक्षकों से भेंट कर उन्हें प्राप्त होने वाले सुविधाओं एवं शासकीय योजनाओं के कियान्वयन की स्थिति का आंकलन किया गया। शिक्षा परिसर में बच्चों के अध्ययन का स्तर संतोषजनक पाया गया। विद्यालय में सह आवास में सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस प्रकार की संस्था की व्यवस्थाओं को

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिलों में, प्रदेश में एवं देश में माडल के रूप में प्रदर्शित कर व्यवस्थाएँ की जा सकती हैं।

(कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाडा का निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, श्री राघव चन्द्रा, सचिव, एवं श्री जेम्स कुट्टी उप सचिव)

- आयोग ने यह महसूस किया कि जनजाति छात्र छात्राओं के लिये इस संस्था में उपलब्ध संशाधन के आधार पर यहाँ पर जनजाति छात्रों के लिये तकनीकी प्रशिक्षण या प्रतिष्ठित बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग की व्यवस्था अतिरिक्त रूप से करवाई जा सकती है। इस दिशा में शासन एवं विभाग स्तर से कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है।

(कन्या शिक्षा परिसर छिन्वाडा में जनजाति छात्राओं द्वारा सॉस्कृतिक कार्यकमों की प्रस्तुति एवं मार्गदर्शन देते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, श्री राघव चन्द्रा, सचिव, एवं श्री जेम्स कुट्टी उप सचिव

निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तामिया के लिये प्रस्थान

दिनाँक 24 अक्टूबर 2017 को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तामिया से छिन्दी बटकाखापा एवं चिलक का प्रवास किया गया।

1) मार्ग में पडने वाले माध्यमिक शाला बामडी तामिया का निरीक्षण किया गया। छात्राओं से चर्चा की गई। उनके अध्ययन के स्तर का ऑकलन किया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2)

(माध्यमिक शाला के छात्र छात्रओं से चर्चा एवं मार्गदर्शन करते हुए
सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, श्री राघव चन्द्रा, सचिव,)

3) ग्राम बटकाखापा में जन प्रतिनिधियों द्वारा भेंट कर सम्मान किया गया एवं अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया।

4) मैंने आयोग की कार्यप्रणाली, गतिविधियों एवं जनजातियों के संरक्षण हेतु प्रावधानों के बारे में जनजातियों एवं उपस्थित जन समूह को अवगत कराया गया।

5) सुदूर आदिवासी क्षेत्र बटकाखापा में भी आयोग की संक्षिप्त जन-सुनवाई आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में जनजाति के नागरिक उपस्थित हुए और अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया।

6) आमजनों से अवगत कराया कि बटकाखापा में नायब तहसीलदार बैठते हैं किन्तु उन्हें पावर नहीं होने की वजह से वे भू-अखिलेख, या किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं अर्थात आमजनों की किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होता है। इसे तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है। संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक करने के निर्देश दिये गये।

(बटकाखापा में आमजनों की जुनसुनवाई एवं मार्गदर्शन देते हुए
सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, श्री राघव चन्द्रा, सचिव, एवं श्री जेम्स कुट्टी उप सचिव)

7) इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या है जिसे ठीक किये जाने की आवश्यकता है। संबंधित अधिकारी तत्काल इस समस्या का निराकरण करें।

8) क्षेत्र में लगभग सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की कमी पूर्ति किये जाने की आवश्यकता है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

9) इस क्षेत्र में सिंचाई के लिये तथा पानी की रिचार्जिंग के लिये बाँध एवं तालाब की आवश्यकता है।

10) कुछ जनजाति के सदस्य जो कि भारिया हैं किन्तु वे अधिसूचित क्षेत्र पातालकोट में निवासरत नहीं हैं उन्हें भारिया,बैग,सहरिया को प्राप्त होने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं जबकि वे भी अतिपिछड़ी जनजाति में आते हैं और इनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है।

11) बटकाखापा क्षेत्र में ट्रान्सफार्मर के जल जाने की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हैं। तत्काल सुधार की आवश्यकता महसूस की गई।

12) कृषि से संबंधित अन्य कार्यो जैसे मछली पालन, चावल उत्पादन, बदक पालन इत्यादि के लिये लोन नहीं मिलता है जबकि जनजाति वर्ग के किसान इन कार्यो को आसानी से कर आपनी आजीविका सुचारूरूप से चला सकते हैं। इसपर विचार कर शासन स्तर से निर्णय लेने की आवश्यकता है।

13) बटकाखापा में तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के सर्विस प्रोवाइडरों द्वारा ग्रामीणों से अवैध रूप से अतिरिक्त राशि ली जा रही है। साथ ही फर्जी तरीके से पैसा निकाल लिया जा रहा है और जनजाति जनों का शोषण हो रहा है। इसे तत्काल कठोरता से रोकने की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने अवगत कराया कि 10000 के भुगतान में करीब 1000 से 2000 रूपये तक काट लिये जाते हैं।

14) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी गैस कनेक्शन में ग्रामीणों से अतिरिक्त राशि ली जा रही है। इस योजना में हो रही अवैध वसूली को तत्काल रोका जावे।

15) इस क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से भी जिन शासकीय योजनाओं में ग्रामीण जनों को लाभांवित किया गया है उनके अंतिम एवं अन्य किश्तों को भुगतान नहीं हो रहा है। सभी लंवित भुगतान तत्काल कराए जाने की आवश्यकता है।

ग्राम चिलक (बटकाखापा) तहसील हरई जिला छिन्दवाडा जन समस्या शिविर

a. ग्राम चिलक बटकाखापा से 25 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से करीब 125 किलोमीटर दूरस्थ आदिवासी ग्रामीण अंचल है जिसमें विद्युत प्रदाय कई दिनों से बाधित है। निरंतर विद्युत प्रदाय की मांग की गई जो कि उपयुक्त एवं आवश्यक है। जबाबदार अधिकारी शिविर में उपस्थित नहीं थे। काफी समय उपरांत लगभग समाप्ति पर बार बार बुलाने पर अधिकारी उपस्थित हुए। आवश्यक कार्यवाही की जावे।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

b.

(दूरस्थ ग्रामीण अंचल चिलक में आमजनों की जनसुनवाई एवं मार्गदर्शन करते हुए
सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, श्री राघव चन्द्रा, सचिव, एवं श्री जेम्स कुट्टी उप सचिव)

c. इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को वनाधिकार अधिनियम के तहत भूमि के पट्टे प्राप्त नहीं हुए हैं तत्काल परीक्षण कर एक माह के भीतर सभी पात्र व्यक्तियों को पट्टा आवंटित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये।

d. कुछ जनजाति के व्यक्तियों द्वारा उन्हें मिले खेती की भूमि पर आवास निर्मित कर लिये हैं जिसकी वजह से उन्हें आवास के लिये लोन नहीं मिल रहा है। किन्तु जनजाति के व्यक्तियों की समस्याओं को देखते हुए आयोग ने निर्देशित किया कि ऐसे सभी व्यक्तियों को जिन्होंने खेती की भूमि पर आवास बनाया है उतने क्षेत्र को भूमि प्रयोजन एक माह में परिवर्तित कर उन्हें शासकीय आवास योजनाओं एवं अन्य योजनाओं का लाभ दिया जावे।

e. आयोग के समक्ष बड़ी संख्या में विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि के प्रकरण लंवित हैं या उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है या प्रकरण ही नहीं बनाए गये हैं। आयोग ने निर्देशित किया कि आज ही ऐसे उपस्थित सभी पात्र हितग्राहियों के प्रकरण तैयार कर एक माह में निराकृत किये जावें।

f. शासन की योजना के तहत विभिन्न ग्रामीणों ने शौचालय का निर्माण कर लिया है। उनके द्वारा यह निर्माण उधार लेकर तैयार किया गया है किन्तु अब उन्हें शौचालय की राशि नहीं दी जा रही है। ऐसे में वे कर्जदार होकर साहूकारों अथवा व्यापारियों जिनसे उन्होंने सामग्री कय की है उनके द्वारा अपने रूपयों की मांग की जा रही है और किसान परेशान हो रहे हैं। आयोग ने निर्देशित किया कि तत्काल सभी का बकाया राशि का भुगतान किया जावे।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

g.

(ग्राम चिलक में आयोहित जन सुनवाई में उपस्थित अपार जनसमूह)

h. ग्रामीणजनों ने अगवत कराया कि चिलक क्षेत्र में कई दिनों से बिजली प्रवाह बंद है किन्तु बिल निरंतर दिय जा रहे हैं जिन्हें जमा करने में गरीब आदिवासी सक्षम नहीं है। इस पर बिद्युत विभाग तथा जिला प्रशासन तत्काल समुचित कार्यवाही करें समस्या का निराकरण करें।

i. ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या से अवगत कराते हुए हैण्डपंप लगवाने का अनुरोध किया। संबंधित विभाग तत्काल जहाँ पर आवश्यकता है, पेयजल की समस्या है वहाँ हैण्डपंप लगवाएँ या लगे हुए हो तों उनको ठीक करावे।

j. ग्रामीणजनों से अवगत कराया बटकाखापा में चिकित्सक नहीं हैं जिसकी वजह से लोगों को इलाज कराने दूर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु की दशा में शव परीक्षण में भी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तत्काल इस दिशा में संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही करें।

k. क्षेत्र में कार्यरत सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की छिन्दी शाखा में पदस्थ प्रबंधक द्वारा दुव्यर्वहार की शिकायत प्राप्त हुई। जनजाति हितग्राहियों को जबकि वे पैसे लेने जाते हैं कहा जाता है कि बैंक में पैसा नहीं है। इसी प्रकार से इसी बैंक की अन्य स्थानों पर भी कार्यरत शाखाओं में प्रबंधकों द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रबंधन से इस संबंध में पत्राचार किया जावे।

l. चिलक की जन सुनवाई एवं बटकाखापा की संक्षिप्त जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की संख्या 76 है जिसकी सूची संलग्न है। इनमें से मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से संबंधित कुल 14 आवेदन, महिला बाल विकास विभाग से संबंधित 3 आवेदन, जिला योजना एवं जिला पंचायत से संबंधित 1-1 आवेदन, पुलिस विभाग से संबंधित 3 आवेदन, राजस्व विभाग से संबंधित 5 आवेदन, सहकारिता विभाग से संबंधित 2 आवेदन, जनपद पंचायत से संबंधित 17 आवेदन, स्वास्थ्य

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

	विभाग से संबंधित 2 आवेदन, उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित 1, जनजजाति कार्य विभाग से संबंधित 21 आवेदन, ग्रामीण बैंक से संबंधित 1 आवेदन तथा लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग से संबंधित 4 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। m. उक्त सभी आवेदन को सहायक आयुक्त, जनजाति कार्य विभाग छिन्दवाडा को सौंपकर आवश्यक कार्यवाही कराने तथा उनके प्रतिवेदन आयोग में प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। n. इसके अतिरिक्त जिन आवेदक ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया उन्हें संबंधित अधिकारियों से संपर्क करवाकर मौके पर ही उनका निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
	❖ प्रवास के दौरान रातेड पातालकोट में करीब 348 विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन पत्र / अपील प्राप्त हुई हैं जिन्हें आयोग में नोटशीट एवं लिस्ट सहित मूलरूप से प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

6-	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा : **(जिसके साथ मुद्दे पर एन.सी.एस.टी. अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जानी है उस अधिकारी के नाम और पदनाम के साथ विनिर्दिष्ट सिफारिशों का उल्लेख किया जाए।)**	• प्राप्त आवेदन पत्रों पर आरयू 3 एवं 4 के प्रभारी अधिकारी, एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार उनमें पत्राचार, नोटिस इत्यादि जारी करना। • मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश, प्रमुख सचिव, जनजाति कार्य विभाग, मुख्य सचिव, वन विभाग, • कलेक्टर छिन्दवाडा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण विभाग छिन्दवाडा, वनमण्डलाधिकारी छिन्दवाडा, कृषि विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग • उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, पीएचई विभाग, चिकित्सा विभाग, जिला पंचायत • सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के वरिष्ठतम अधिकारियों को कार्यवाही करना है।

संलग्नक :-

1. चिलक एवं बटकाखापा में प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची
2. समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली
(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi